भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3778
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2019

दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ राजस्व की हिस्सेदारी

3778. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुबंध में स्पष्ट रूप से परिभाषित 'सकल राजस्व' शब्द के बावजूद वर्ष 2003 से लेकर अब तक दूरसंचार कम्पनियों से धनराशि एकत्रित नहीं की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) समायोजित सकल राजस्व (ए॰जी॰आर॰) पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र दूरसंचार कंपनियों का तर्क क्या है;
(ग) वर्ष 2003 से लेकर अब तक राजस्व-हिस्सेदारी मॉडल से किन दूरसंचार ऑपरेटरों को लाभ हुआ है और तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का दूरसंचार क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) वर्ष 2003 से, विद्धत दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाइसेंस समझौते में दिए गए 'सकल राजस्व' की परिभाषा की विवेचना से संबंधित विवाद विचाराधीन है। टीडीएसएटी ने कई मामलों में दूरसंचार द्वारा वसूली की मांगों पर रोक लगा दी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दिनांक 29.02.2016 के अपने अंतरिम आदेश के द्वारा दूरसंचार विभाग को मांगों के लिए दबाव बनाए बिना अपनी समझ के अनुसार मांग करने की अनुमति दी थी। दूरसंचार विभाग के लाइसेंसधारक अपनी समझ के आधार पर भुगतान कर रहे हैं।

(ख) भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ ने दिनांक 29.10.2019 के अपने पत्र के द्वारा अपनी सदस्य कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर इस तरह के अप्रत्याशित प्रभाव को रोकने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। तथापि, भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ के एक सदस्य नामत: रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड ने उक्त मामले में एक अलग राय दी है।

जारी....2

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24.10.2019 के अपने निर्णय में यह टिप्पणी दी कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व साझा पैकेज बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ जो सकल राजस्व में हुई निरंतर वृद्धि से स्पष्ट होता है और जो निम्न प्रकार से है:

वित्तीय वर्ष (मार्च में समाप्त)	सकल राजस्व (करोड़ रूपए में)
2004	4,855
2006	2,666
2007	89,108
2008	1,05,061
2009	1,43,044
2010	1,44,232
2011	1,60,251
2012	1,82,637
2013	2,04,221
2014	2,24,430
2015	2,37,676

(घ) भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ ने दिनांक 29.10.2019 के अपने पत्र के द्वारा अपनी सदस्य कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर इस तरह के अप्रत्याशित प्रभाव को रोकने के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। तथापि, भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ के एक सदस्य नामत: रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड ने उक्त मामले में एक अलग राय दी है।

*****